प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
Insurance Building Complex
Tilakroad Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Accountant Generl (A&E)II Uttar Pradesh, Allahabad Circular No Pen(M)/DR/1212 dt 26.09.2011

Ref:- Secretary, Governmant of Uttarpradesh No 6016/D4.06.45(12)/ 91TC.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) II, Uttarpradesh, Allahabad in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director, Pension Payment Office,
Jambagh M J Road
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sd/-
Sr Accounts Officer

Registered/E-mail

Office of the Accountant General (A&E)-II, UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

सत्यमेव जयते

Under Special Seal

Circular No. Pen. (M)/Dearness Relief/ 1212 **Dated:-** 26.09.11
LID- 0

To,

Accountant General (A&E) Andhra Pradesh
Saifabad
Hyderabad 500004

Subject: - G.O. Regarding Medical allowances and Domestic servant allowances to Judicial Officers of UP State Government Pensioners/Family Pensioners

Sir,

I am forwarding herewith Copy of:-

GO. Issued by Uttar Pradesh Government Vide No.6016/TWO-4-06-45(12)/91-T.C. Lucknow dated: 28 August, 2006,and No.480/TWO-4-07-45(12)/91-TC Lucknow dated: 28 March, 2007, on the subject cited above.

It is requested that above mentioned Orders may please be circulated to all Treasuries situated in your State immediately under intimation to this office.

Enclosure: As Stated above

Yours faithfully

(Archana Arora)
Accounts Officer

संख्या- 6016 /दो-4-06-45(12)/91- टी.सी.

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2006

विषय: प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियाँ एवं उस क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक-06.12.2005 को पूर्व पारित आदेश के क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-7.2.06 को पारित आदेशों के संदर्भ में उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45 (12)/91टीसी. दिनांक 27 जनवरी, 2006 के प्रस्तर-1 के बिन्दु सं0 12 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवारत सदस्यों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता दिनांक 21 मार्च, 2002 से अनुमन्य किया गया है, जिसके अन्तर्गत न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवार-जन को सरकारी अस्पताल/औषधालयों, प्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा-उपचार हेतु मान्यता-प्राप्त गैर सरकारी अस्पतालों/औषधालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदेश शासन के तद्विषयक संगत नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रूपये 100 प्रतिमाह का चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य किया गया है।

शेट्टी आयोग की संस्तुति के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को उल्लिखित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 27 जनवरी,2006 के उल्लिखित आदेश में निहित चिकित्सा व्यय

...2-

प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता उ0 प्र0 न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को अनुमन्य की जाये, तदनुसार उ0 प्र0 न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता भी अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- उक्त सुविधा उ0 प्र0 न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक-21 मार्च, 2002 से अनुमन्य होगी।

4- उक्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता की मद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक 2006-07 की अनुदान संख्या-62 के लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-800-अन्य व्यय-02-दिनांक-8 नवम्बर,2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनकी आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

5- उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-सा-3-1133/दस-2006, दिनांक- 28 अगस्त, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 6016(1)/सो-4-06-45(12)/91 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0 प्र0।
3. निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. निदेशक, पेंशन निदेशालय,इन्दिरा भवन,उ0 प्र0,लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,24/3 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. सूचना निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ।
8. समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,उ0 प्र0।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/3,वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

...3-

संख्या-480/दो-4-07-45(12)/91 टी.सी.

(2)

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,

उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2007

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 21 मार्च, 2002, दिनांक-06.12.2005 दिनांक 07.02.2006 एवं दिनांक 10.01.2007 के आदेशों के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91 टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 एवं शासनादेश संख्या-6016/दो-4-06-45(12)/91 टीसी, दिनांक 28 अगस्त, 2006 से स्वीकृत क्रमशः सेवारत न्यायिक अधिकारियों को अतिथि सत्कार भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता की सुविधा एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा की प्रभावी तिथि में संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 21 मार्च, 2002 एवं दिनांक-06.12.2005 के आदेशों के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-6058/दो-4-05-45(12)/91टीसी, दिनांक 27 जनवरी, 2006 के अंतर्गत अतिथि सत्कार भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता की सुविधायें दिनांक-21.3.2002 से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा शासनादेश संख्या-6016/दो-4-06-45(12)/91 टीसी, दिनांक 28 अगस्त, 2006 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को चिकित्सा सुविधा की स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त सुविधायें दिनांक [illegible] से प्रभावी की गयी थी।

[illegible] जजेज़ एसोसियेशन एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2007 को पारित निर्णय में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को उपरोक्तानुसार अनुमन्य अतिथि सत्कार भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता की सुविधा एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ते की सुविधा को दिनांक 01.11.1999 से अनुमन्य किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इसके अनुपालन में उल्लिखित शासनादेशों में [illegible] अतिथि सत्कार भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा भत्ता दिनांक 21.03.2002 [illegible] 01.11.1999 से प्रभावी माने जायेंगे।

[illegible] दिनांक 27 जनवरी, 2006 एवं दिनांक 28 अगस्त, 2006 [illegible] सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

[illegible] वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-जी-1-213/दस-07, [illegible] मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)

सचिव

Bill clerk to comply